(19 मई 2021)

कोरोना (कोविड-19) की दूसरी लहर (2021) में राहत घोषणाएं

[नोटजहाँ तक संभव है इस पेज में सही जानकारी दी गयी है -,जो सरकारी घोषणाओं, प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन और सरकारी आदेशों पर आधारित है। कोरोना के इस समय में तेज़ी से नयी घोषणाएं भी हो रही हैं। किसी भी घोषणा या योजना की विस्तृत और नवीनतम जानकारी के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग से संपर्क करना ठीक रहेगा।]

नोवल कोरोना (कोविड-19) महामारी के दुसरे लहर (2021) में कोरोना बीमारी से लड़ने और लॉकडाउन के प्रभावों से निबटने के लिए राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अब तक की गयी कुछ महत्वपूर्ण राहत घोषणाएं।

अस्पताल में भर्ती मरीज़ों के अधिकार

मरीज़ों और उनके साथी के अधिकार का चार्टर	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मरीज़ों और उनके साथी के लिए अधिकार का एक चार्टर बनाया गया है जिसे केंद्रीय स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी स्वीकृति दी है और सभी राज्य सरकारों को भेजा है कि उसे लागु करवाया जाये। यह चार्टर अंग्रेज़ी में इस लिंक पर उपलब्ध है: http://www.clinicalestablishments.gov.in/WriteReadData/9901.pdf **इसके अनुसार मरीज़ों और उनके साथियों को बीमारी, इलाज, दवा और सेवाओं के मूल्य की पूरी जानकारी का अधिकार है। मरीज़ों से जाँच और अन्य इलाज से पहले सारी जानकारी देने और सहमति लेनी ज़रूरी है। बीमार मृतक की लाश को किसी भी हाल में देने से मना नहीं करना। बीमारों के साथ किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना आदि अधिकार शामिल हैं।**

स्वास्थय एवं उपचार

24 *7 हेल्पलाइन (11 मई)	फ़ोन नंबर 181 पर 24 *7 हेल्पलाइन शुरू, जिस पर कोविड से संबंधित किसी भी आवश्यकता के लिए फ़ोन किया जा सकता है।
ज़िलों में भी वॉर रूम (11 मई)	इसके अलावा ज़िलों में भी वॉर रूम की स्थापना की गयी है।
शिकायत और समाधान सम्पर्क पोर्टल पर (11 मई)	नोडल अधिकारी द्वारा राज्य और जिला हेल्पलाइन पर आयी शिकायत और समाधान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा।
मरीज़ को हर हाल में भर्ती किया जाना	अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता वाले मरीज़ को किसी भी स्थिति में भर्ती के लिए मना नहीं किया जायेगा।
नि:शुल्क एम्बुलेंस सुविधा (11 मई)	कोरोना मरीजों को भर्ती व रेफेर करने करने के लिए 108 व 104 एम्बुलेंस को उपयोग में लाया जाएगा यह सुविधा नि:शुल्क रहेगी।
प्रत्येक परिवार को कोरोना मेडिसिन किट (4 मई)	राज्य में प्रत्येक परिवार को कोरोना मेडिसिन किट उपलब्ध कराया जायेगा।
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना	यह स्वास्थ्य बीमा योजना में राज्य की समस्त जनता के लिए लागू की गई है। इसमें चुनिन्दा निजी तथा सरकारी अस्पताल में सभी प्रकार का इलाज नि:शुल्क है। इसके लिए उन परिवारों को जो स्वतः लाभार्थी नहीं हैं, ई-मित्र से पंजीयन करवाना होगा और वार्षिक शुल्क भी देना होगा।

कोरोना टीकाकरण (SOP)

बिना पहचान पत्र के टीकाकरण	बंजारा, भिखारी, शरणार्थी, साधु, संत आदि के विशेष परिस्थिति में बिना पहचान पत्र के टीकाकरण किया जायेगा।
टीकाकरण	18 साल से अधिक उम्र के नागरिकों का सरकारी चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क टीकाकरण किया जायेगा।

आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा

नरेगा कार्य पुनः आरम्भ (17 मई)	नरेगा के अंतर्गत 10 लोग व्यक्तिगत कार्यों में लगाने के लिए निर्देश।
उद्योग व निर्माण कार्य जारी रहेंगे	10 मई से 24 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन में उद्योग व निर्माण कार्य जारी रहेंगे।
नरेगा कार्य स्थगित (8 मई)	कोरोना बीमारी के संक्रमण को देखते हुए नरेगा कार्य स्थगित किया गया है, आज तक का भुगतान करने का आदेश।
खाद्य सुरक्षा	राज्य सरकार मई महीने में प्रत्येक NFSA लाभार्थी को 10 किग्रा अनाज मुफ्त उपलब्ध कराएगी।

जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई से नि:शुल्क भोजन पैकेट की व्यवस्था (8 मई)	दिनांक 10.05-2021 से 24.05-2021 तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दोरान जरुरतमंदों को इंदिरा रसोई से नि:शुल्क भोजन पेकेट की व्यवस्था की गई है।
नरेगा में अकुशल मजदूरों के नियोजन बाबत (4 मई)	मनरेगा में अकुशल मजदूरों को 2 गज दूरी के अनुसार नियोजन किया जाना है तथा सेनेटाइजर की व्यवस्था, मास्क लगा कर कार्य
श्रमिकों के लिए कंट्रोल रूम (22 अप्रैल)	श्रम विभाग द्वारा मज़दूरों के विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई जिसमें निम्न प्रभारी हैं: 1. श्री मनीष चौधरी श्रम निरीक्षक, मुख्यालय मो0नं0— 86195—51363 और 98871—49358 2. श्री दुष्यन्त सिंह श्रम निरीक्षक, जयपुर रीजन मो0नं0— 77278—34366 (समय: सुबह 9 शाम 6 बजे तक)

सरकारी योजनाएं

पालनहार योजना - वार्षिक नवीनीकरण से छूट	कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान में शिक्षण संस्थानों, विद्यालय एवं आंगनबाडी केन्द्रों के संचालित नहीं होने तथा बच्चों के इनमें प्रवेशित नहीं हो पाने के कारण पालनहार योजना में लाभान्वित हो रहे बच्चों को जून, 2021 तक की सहायता राशि के भुगतान के लिए 2020-21 के वार्षिक नवीनीकरण

	(सत्यापन(की अनिवार्यता से छूट प्रदान की है।
गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना	0 - 18 वर्ष के बच्चे, जिन्हें लम्बे समय तक परिवार आधारित देखरेख की आवश्यकता है, के लिए स्यं स्वयंसेवी संस्था द्वारा देखभाल और पालन पोषण की योजना।

बाल संरक्षण

कोविड-19 व अन्य बीमारियों से चिकित्सा संस्थानों में अनाथ हुए बच्चों के संबंध में दिशा-निर्देश (16 मई)	सरकार ने कोविड-19 व अन्य बीमारियों से चिकित्सा संस्थानों में अनाथ हुए बच्चों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत

- 'कोविड-19' से लड़ने वाले प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी को 5 किलो अतिरिक्त गेहूं प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाएंगे।